न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 76/2022

सीताराम पुत्र जेसाराम जाति कुम्हार निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. डूंगरराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. रामलाल पुत्र धुडाराम जाति कुम्हार निवासी बादनू तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. हडमानाराम पुत्र धुडाराम जाति कुम्हार निवासी बादनू तहसील नोखा जिला बीकानेर
5. शिवलाल पुत्र भजनाराम जाति कुम्हार निवासी बादनू तहसील नोखा जिला बीकानेर
6. मोहनराम पुत्र सरदाराराम जाति कुम्हार निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. नानूराम पुत्र हेतराम जाति कुम्हार निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अक्स में दुरूस्ती बाबत।</u>

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. श्री दिनदयाल प्रजापत एडवोकेट– वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :– दिनांकः–29.11.222

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 551/533 तादादी 0.2023 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि का मूल खसरा 533 तादादी 0.9231 हेक्टेयर था जिसमें सें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने कुल 0.2023 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा क्रय किया गया खसरा संख्या 551/533 तादादी 0.2023 हेक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा क्रय किया गया खेत खसरा संख्या 552/533 तादादी 0.1012 हेक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 द्वारा क्रय किया गया खेत खसरा संख्या 553/533 तादादी 0.3288 हेक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा क्रय किया गया खेत खसरा संख्या 554/533 तादादी 0.2023 हेक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा क्रय किया गया खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner

संख्या 555/533 तादादी 0.0885 हेक्टेयर है। इन सभी खसरों की वर्तमान तरमीम गलत है। वादी के साथ ही मूल खसरा से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अलग अलग विक्रय पत्र से भूमियां क्रय की। जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा क्रय की गई भूमि की तरमीम हल्का पटवारी ने क्षेत्रफल के अनुसार सही नहीं की। हमनें कई बार हल्का पटवारी को पंजीकृत विक्रय पत्र व मौका व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करने का कहा था लेकिन हल्का ने आज दिनांक तक उक्त तरमीम को सही नहीं किया है। तरमीम सही नहीं होने के कारण हम पक्षकारों के बीच सिंव को लेकर प्रायः विवाद होते रहते है। हम सभी पक्षकारों ने मौका पर अलग अलग सींवे डालकर कब्जा काश्त कर रखे है। हल्का पटवारी द्वारा जो वर्तमान में अक्स में तरमीम कर रखी है वो गलत है। क्योंकि कम क्षेत्रफल के खेत को बडा दिखा रखा है व बडे क्षेत्रफल के खेत को छोटा दिखा रखा है। इस कारण हमारे बीच सींव को लेकर विवाद रहता है व बैंक से ऋण लेने में भी परेशानी हो रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादगत खेत को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग–अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने व तरमीम गलत अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 25.07.2022 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर व विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक राजस्व रेकार्ड में संशोधन व विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव रेकार्ड संशोधन व तरमीम संशोधन का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा इकबाल जवाब पेश करने के कारण तनकियात कायम नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने वाद में राजहित नहीं होना अंकित किया है। बहस सुनी गई। वकुलान ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने वादगत भूमि की तरमीम शुद्व करने का निवेदन किया है। वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम कातर छोटी के वर्तमान खसरा संख्या 551/533, 552/533, 553/533, 554/533, 555/533 तादादी कमशः 0.2023, 0.1012, 0.3288, 0.2023, 0.0885 हेक्टेयर की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाता है। वादगत खसरों की पुनः नई तरमीम पंजीकृत विक्रय–पत्रों/पक्षकारों के कब्जा काश्त अनुसार करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner